



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdpl.cce@gmail.com](mailto:jdpl.cce@gmail.com) Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2025-2026/0218

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत के लिए सत्र 2025-26 से स्नातक स्तर पर पूर्ण संचालित संकाय के नवीन विषयों में स्थाई अनापति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

**संचालक संस्था : RAKESH ACADEMY SHIKSHA SAMITI, Near water works, Loharu road, Pilani, dist.-Jhunjhunu**  
**महाविद्यालय का नाम : RAKESH MAHAVIDYALAYA, PILANI, Dist.- Jhunjhunu, Jaipur Division 333031**  
**सम्बद्ध विश्वविद्यालय : Pt. Deendayal Upadhyay Shekhawati University, Sikar**  
**संकाय/ विषय : Commerce स्नातक - Bachelor of Commerce Computer Application**  
**Science स्नातक - Bachelor of Science Computer Application**

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ प्रवेश-प्रक्रिया समाप्त होने पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./ राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. स्थाई मान्यता प्राप्त संस्थाएँ गुणवत्ता संवर्धन हेतु NAAC से प्रत्यायन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2025-26 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [WWW.aishe.nic.in](http://WWW.aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कोपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

(नथमल डिडेल)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक मान. उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर झुंझुनू।
5. कुल सचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।

राजस्थान सम्बन्धित महाविद्यालय।

राजस्थान सम्बन्धित महाविद्यालय की शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

पत्रावली

Signature valid

Digitally signed by Nathmal Didel  
Date: 2026.07.03 16:49:22 IST  
Reason: Self Attested

रेशमा देवी

सचिव  
राकेश अकेडमी शिक्षा समिति  
पिलानी (झुंझुनू)